न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 82/2024
जीसीएमएस न0 2024/326

1. प्रेम उर्फ प्रेमबाई पुत्री काशीराम जी पत्नी रमेशचन्द्र जी जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह० निम्बाहेडा राज०हाल मु० सावा जिला चित्तौडगढ राज० ... प्रार्थीया

बनाम

1. राज० सरकार जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा राज० .. विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री इन्दरमल भाम्बी – प्रार्थिया अधिवक्ता
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 08.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राथी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि मोजा चरलिया ब्राह्मणान प०ह० बांगरेडा तह० निम्बाहेडा में प्रार्थीया की शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खाता सं० 66 की आराजी नं0 896 रकबा 00100 हेक्टेयर ट्युबवेल, आराजी नं0 897 रकबा 0.4300 हेक्टेयर, आराजी नं0898 रकबा 0.8100 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकवा 1.2500 हेक्टेयर कुल लगी 23.56 रूपये स्थित हैं। पुष्टि में नकल जमाबंदी पेश है।

2. उक्त वर्णित जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम प्रेम पुत्र काशीराम दर्शा रखा है, जबकि प्रार्थीया काशीराम जी का पुत्र नहीं होकर पुत्री है इसलिये उक्त राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया के नाम का सही इन्द्राज प्रेम पुत्री काशीराम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3. प्रार्थीया के नाम से अन्य शामलाती खातेदारी की आराजीयात खाता सं० 284 मोजा चरलिया ब्राह्मणान में स्थित है, उसमें खातेदार क्रमांक 10 पर प्रार्थीया का नाम प्रेमबाई पुत्री काशीराम सुथार दर्ज है, इसी प्रकार खाता सं० 115 मोजा चरलिया ब्राह्मणान की आराजीयात के खातेदार क्रमांक 14 पर प्रार्थीया का नाम प्रेमबाई पुत्री काशीराम सुथार दर्ज हैं तथा प्रार्थीया के आधार कार्ड नं0 5655 6315 4884 में प्रार्थीया का नाम प्रेमदेवी पत्नी रमेशचन्द्र सुथार दर्ज है। जो इस बात का प्रमाण है कि प्रार्थीया काशीराम जी की पुत्री हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:32 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त जमाबंदी खाता सं० 66 मोजा चरलिया ब्राह्मणान प०ह० बांगरेडा में प्रार्थीया का नाम प्रेम पुत्र काशीराम सुथार दर्ज है, उसके स्थान पर सही इन्द्राज प्रेम पुत्री काशीराम सुथार दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान करावे।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है:–

ग्राम चरलिया ब्राहम्णान पटवार हल्का बांगरेडा के खाता संख्या 66 में जमाबन्दी 2077–80 मे प्रेम पुत्र काशीराम जाति सुथार के नाम से दर्ज है। जबकि खातेदार के लिंग सही में महिला है जो इसी ग्राम के खाता संख्या 115,284 में प्रेमबाई पुत्री काशीराम के नाम दर्ज है जो कि सही है। अतः संलग्न दस्तावेज व मौका अनुसार खातेदार का लिंग पुत्र की बजाय पुत्री किया जाना उचित है।

3. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारुप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

6. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम चरलिया ब्राहम्णान पटवार हल्का बांगरेडा के खाता संख्या 66 में जमाबन्दी 2077–80 मे प्रेम पुत्र काशीराम जाति सुथार के नाम से दर्ज है। जबकि खातेदार के लिंग सही में महिला है जो इसी ग्राम के खाता संख्या 115,284 में प्रेमबाई पुत्री काशीराम के नाम दर्ज है जो कि सही है। अतः संलग्न दस्तावेज व मौका अनुसार खातेदार का लिंग पुत्र की बजाय प्रेमबाई पुत्री काशीराम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
प्रेम उर्फ प्रेमबाई बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2024/326
प्रकरण संख्या 82/2024

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम चरलिया ब्राहम्णान पटवार हल्का बांगरेडा के खाता संख्या 66 के आराजी नम्बर 896 रकबा 0.0100, आराजी नम्बर 897 रकबा 0.4300, आराजी नम्बर 898 रकबा 0.8100 भूमि में प्रेम पुत्र काशीराम जाति सुथार सा. देह खातेदार के बजाए के बजाए प्रेमबाई पुत्री काशीराम जाति सुथार सा. देह खातेदार किए जाने का ओदश दिया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:32 IST
Reason: SelfAttested